कार्यालय नगर निगम, देहरादून

विज्ञप्ति

नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत डेरियों से उत्पन्न गोबर के निस्तारण हेतु शहर के सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 ज़ोनों में विभाजित कर पाइलट प्रोजक्ट के रूप में एक वर्ष हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को शुल्क प्राप्त कर निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है । विस्तृत सूचना दिनांक 15.07.2019. तक नगर निगम के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः– 89(४)

दिनाँक 15/06/2019

1. सम्पादक **राष्ट्रीय सहारा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **30 प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में 30sqcm साईज में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक **हिन्दुस्तान** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **76 प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना नगर निगम की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

देoदून क्यु नंo..........

निविदा फार्म का मूल्य रू0 500+GST@12%=560 रू0

नगर निगम देहरादून

नीचे लिखे कार्य के लिए मोहरबंद लिफाफों में निविदा दिनांक 16.07.2019 की अपराह्न 3:00 बजे तक पशुचिकित्सा अनुभाग, नगर निगम, देहरादून कार्यालय में जमा कर देना चाहिए जो कि उसी दिन सायं 4:00 बजे खोली जाएँगी।

कार्य का नाम– नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत डेरियों से उत्पन्न गोबर के निस्तारण हेतु शहर के सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 ज़ोनों में विभाजित कर पाइलट प्रोजेक्ट के रूप एक वर्ष हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को आमंत्रित किये जाने हेतु।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अर्नेस्ट मनी धनराशि का विवरण
1.	नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत डेरियों से उत्पन्न गोबर के निस्तारण हेतु शहर के सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 ज़ोनों में विभाजित कर पाइलट प्रोजेक्ट के रूप एक वर्ष हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को आमंत्रित किये जाने हेतु।	

हस्ताक्षर निविदादाता

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम देहरादून

निविदा की शर्तें

एक वर्ष हेतु नगर निगम देहरादून में डेरियों से उत्पन्न गोबर निस्तारण हेतु समस्त क्षेत्र को 5 जोनों में विभाजित कर पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिनाँक 15.07.2019 तक 10:00 बजे प्रातः से 5:00 बजे अपराह्न तक (रविवार एवं अवकाश के दिवस को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्य के सम्बन्ध में कोई अन्य आवश्यक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म क्रय किये जाने के उपरांत यह समझा जायेगा कि व्यक्ति/संस्था ने कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है। निविदाएँ दिनाँक 16.07.2019 की शाम 3:00 बजे तक जमा करनी होंगी जो दिनाँक 16.07.2019 को सांय 4:00 बजे खोली जाएंगी।
2. निविदा प्रपत्र का शुल्क रू0 500+GST@12%=560 निर्धारित है।
3. निविदा को सील बन्द मजबूत लिफाफों में रखकर 10,000/– अर्नेस्ट मनी ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
4. इच्छुक प्रतिष्ठित व्यक्ति/संस्था अपने सील्ड टेण्डर दिनांक 16.07.2019 की सायं 3:00 बजे तक वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम देहरादून के कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स में डालेंगे जो उसी दिन सायं 4:00 बजे खोली जाएँगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को होगा।
6. गोबर नहीं देने वाले डेरी स्वामी के बारे में वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सूचित करना होगा ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके।
7. यदि एक ज़ोन के लिए एक से अधिक व्यक्ति/संस्था द्वारा आवेदन/निविदायें डाली जाती हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिमाह गोबर भण्डारण स्थल हेतु निर्धारित धनराशि के रूप में अथवा निगम को देय मासिक शुल्क के रूप में अधिकतम धनराशि देने वाले व्यक्ति/संस्था का आवेदन/निविदा स्वीकृत की जायेगी।
8. इच्छुक व्यक्ति/संस्था को निविदा पत्र के साथ अदेय स्व–प्रमाण पत्र तथा संस्था का पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं।
9. व्यक्ति/संस्था हेतु प्रति डेरी रू0 3500 प्रतिमाह अधिकतम शुल्क निर्धारित है। चयनित व्यक्ति/संस्था को गोबर उठाकर ले जाने हेतु अधिकृत किया जायेगा। प्रतिमाह शुल्क कार्यरत व्यक्ति/संस्था द्वारा डेरी स्वामी से वसूल किया जायेगा, जिसे वह अपने व्यय वहन हेतु व लाभ के रूप में प्राप्त कर सकेगा।
10. व्यक्ति/संस्था अपने स्वयं के वाहन प्रयोग में लायेगा, अपने कार्मिक रखेगा तथा नगर निगम की भूमि का प्रयोग गोबर भण्डारण हेतु नहीं करने पर गोबर को अपने प्रयोग में लाने, उससे किसी प्रकार की खाद आदि बनाने, उसके विपणन से आय अर्जन करने हेतु अधिकृत होगा। नगर निगम के प्रति कोई देयता नहीं होगी।
11. यदि व्यक्ति/संस्था के पास अपनी भूमि गोबर भण्डारण हेतु उपलब्ध न हो तो नगर निगम की चयनित भूमि पर गोबर भण्डारण हेतु प्रति जोन न्यूनतम रू0 10,000 प्रतिमाह की दर से नगर निगम देहरादून को किराया/शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा जिसके उपरांत गोबर से किसी प्रकार की खाद या अन्य उत्पाद आदि बनाने, उसके विपणन से आय अर्जन करने हेतु अधिकृत होगा, नगर निगम के प्रति कोई अन्य देयता नहीं होगी।
12. कार्यरत व्यक्ति/संस्था हेतु नगर निगम की उक्त प्रयोजनार्थ चयनित की गयी भूमि पर गोबर भण्डारण अथवा उससे उत्पादित वस्तुओं के भण्डारण के अतिरिक्त अन्य कोई भी गतिविधि प्रतिषिद्ध होगी।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा व्यक्ति/संस्था को केवल एक ही बार सूचित किया जाना पर्याप्त होगा।

मैंने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने एवं भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/हैं। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर व्यक्ति/संस्था..................................

नामः..

पताः..

हस्ताक्षर

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।